(464)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2014 निगरानी R-2134-I/14

आवेदक

1. पार्वती बाई पत्नी कालूराम , आयु 50 वर्ष
2. कालूराम पुत्र श्री मांगूजी पाटीदार, आयु 55 वर्ष निवासीगण–ग्राम भैंसाना, तहसील जावरा, जिला रतलाम म.प्र.

बनाम

अनावेदक

फरीद खॉ पुत्र गोरखा मुसलमान आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम स्लामपुरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम म.प्र.

आज दि. 16/07/14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

16/7/14

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार जावरा जिला रतलाम के प्रकरण क्र. 01/अ–13 /13–14 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2014 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है :–

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि,आवेदिका क.1 श्रीमती पार्वती बाई के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि सर्वे क.438 है जो ग्राम भैंसाना,तहसील जावरा, जिला रतलाम में स्थित है।
2. यह कि अनावेदक द्वारा तहसील जावरा के समक्ष म.प्र. भू राजस्व सहिंता के की धारा 131,132 के अर्न्तगत इस आशय का एक आवेदन पत्र यह कहते हुये प्रस्तुत किया कि प्रार्थी एवं अन्य सह हिस्सेदारों के कृषि भूमि सर्वे 171 रकबा 3.69 हैक्टर पर आने जाने,बैलगाडी, सामन्द ट्रेक्टर, ट्रली, कृषि औजार लाने लेजाने के लिये परम्परागत गाडी गढार का रास्ता ग्रम भैंसाना से निकलकर तालाब के पास होता हुआ भूमि सर्वे क. 456,455 की मेडं से होता हुआ भूमि सर्वे क. 438 जो प्रतिप्राथीक.2 (पार्वती बाई) के नाम से दर्ज होकर 438 की पश्चिमी मेंड से होता हुआ सर्वे न. 408 की

XXIX(a)-BR(H)-11

464

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2134-एक/14 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	